

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

अनंत अंबानी के वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट, SIT रिपोर्ट में नहीं पाई कोई गड़बड़ी

Publisher

Published on 15 Sep 2025



सुप्रीम कोर्ट ने अनंत अंबानी के वनतारा प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र को क्लीनचिट दे दी है। यह निर्णय विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसने गुजरात के जामनगर स्थित इस संस्था की जांच की थी।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने SIT की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और पाया कि वनतारा के संचालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वनतारा ने सभी नियमों और कानूनों का पालन किया और केंद्र की गतिविधियां पूरी तरह से वैध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया था। SIT ने केंद्र के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की:

- संगठन का संचालन :** वनतारा ने अपनी गतिविधियों और प्राणी संरक्षण कार्यों में सभी कानूनी मानकों का पालन किया।
- अनुमतियाँ और लाइसेंस :** केंद्र ने सभी आवश्यक सरकारी अनुमति पत्र और लाइसेंस समय पर प्राप्त किए।
- प्राणी कल्याण :** वनतारा में रखे गए प्राणियों की देखभाल, स्वास्थ्य और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुरूप थी।
- वित्तीय पारदर्शिता :** SIT ने संस्था के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि सभी खर्च और निधियों का सही तरीके से उपयोग किया गया।

SIT ने निष्कर्ष निकाला कि वनतारा केंद्र में किसी भी प्रकार का कानून उल्लंघन या अनियमितता नहीं पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वनतारा ने सभी नियमों का पालन किया और संस्था के खिलाफ कोई भी आरोप निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय प्राणी संरक्षण संस्थाओं और उनके कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है। अदालत ने केंद्र को अब सामान्य रूप से अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी।

वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है। यह केंद्र विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण, घायल और जंगली प्राणियों के पुनर्वास और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काम करता है। केंद्र में विभिन्न प्रकार के जंगली और वन्य प्राणी देखभाल के लिए लाए जाते हैं। वनतारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राणी संरक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता है। संस्था के संचालन में पारदर्शिता और कानूनी मानकों का पालन प्राथमिकता है।

वैटरनरी और प्राणी संरक्षण विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उनके अनुसार, SIT की निष्पक्ष जांच और क्लीनचिट ने यह साबित किया कि वनतारा जैसी संस्थाओं का काम समाज और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने कहा कि प्राणी संरक्षण संस्थाओं को निरंतर निगरानी और कानूनी सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी बताया कि कानून के नियमों का पालन करते हुए संस्थाएं प्रभावी रूप से काम कर सकती हैं।

वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट मिलने से न केवल संस्था की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है बल्कि प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के लिए भी सकारात्मक संदेश गया है। यह निर्णय बताता है कि कानून का पालन और पारदर्शिता किसी भी संस्था की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से प्राणी संरक्षण संगठनों को कानूनी सुरक्षा और भरोसा मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट और SIT की कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि अनंत अंबानी के वनतारा प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं थी। सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया और संस्था को कानूनी मंजूरी मिल गई।

वनतारा अब बिना किसी कानूनी विवाद के अपने प्राणी संरक्षण और पुनर्वास कार्यों को जारी रख सकता है। विशेषज्ञों और समाज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है, जो यह संदेश देता है कि पारदर्शिता और नियमों का पालन हमेशा सुरक्षा और सफलता का आधार होता है।